जनसंख्या नीति, विकास और मानव अधिकारों

पर राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित घोषणा पत्र

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार • संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष

नई दिल्ली, जनवरी, 2003

जनसंख्या नीति, विकास और मानव अधिकार

पर राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित घोषणा पत्र

विश्व के सभी राष्ट्र अपने नागरिकों की समृद्धि, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा; नागरिक एवं राजनैतिक स्वतन्त्रता, बच्चों के संरक्षण और कमज़ोर वर्गों के बचाव के प्रति प्रयासरत हैं। इसी संदर्भ में, नागरिकों को विकास के केन्द्र में रखते हुऐ टिकाऊ मानव विकास मार्ग ही चरम बिन्दु है। परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (सराजको) ने मिलकर 9 और 10 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में जनसंख्या नीति, विकास और मानव अधिकारों पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया।

सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों और केन्द्र सरकार द्वारा जनसंख्या नीति तैयार करने और उसे लागू करने में किए जा रहे प्रयत्नों की प्रशंसा की तथा जनसख्या नीतियों और संबंधित मानव अधिकार विषयों पर विचार करने के बाद वे इन बातों पर सहमत हुए:

- देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जनसख्या नीति के महत्व को स्वीकार करते हैं।

- इसी के साथ यह भी स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या नीतियां दीर्घोपयोगी विकास के लक्ष्यों का एक हिस्सा होनी चाहिएं, जो ऐसे वातावरण को बढ़ावा दें, जिसमें सभी संबंधित लोग मानव अधिकारों का उपयोग कर सकें। इसलिए, जनसंख्या नीतियां तैयार करने के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके अलावा, इस तरह की नीति तैयार करने और उसे लागू करने हेतु विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच निरन्तर और प्रभावी बातचीत और सरकार एवम् समाज के अन्य अंगों के बीच भागीदारी की भावना बनाना महत्वपूर्ण है।

- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 तैयार करने में भारत सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं जिसमें सरकार की इस वचनबद्धता की पुष्टि होती है कि वह शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण द्वारा लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और इस प्रकार उनके कल्याणकारी कार्यों को बढ़ाने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझती है। साथ ही

सरकार उन्हें समाज के उत्पादक संसाधन बनने के अवसर एवं विकल्प प्रदान करती है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण और जनन क्षमता में कमी के लिए आवश्यक है।

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त करते हैं कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई जनसंख्या नीतियां प्रोत्साहन और दंड का इस्तेमाल करके कुछ विषयों में जोर-जबरदस्ती का रवैया अपनाती है, जो कुछ मामलों में मानव अधिकारों का उल्लंघन है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भावना के अनुरूप नहीं है। मानव अधिकारों के उल्लंघन का असर, विशेष रूप से महिलाओं सहित, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है।

- इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि दो बच्चों के मानदण्ड के प्रचार और बच्चों के जन्म के निजी फैसले को दबाव या जोड़-तोड़ करके प्रोत्साहन और दंड के जरिए प्रभावित करना स्वैच्छिक सुविचारित विकल्प और लोगों के मानव अधिकारों, विशेष रूप से बच्चे के मानव अधिकारों के सिद्धान्तों का उल्लंघन है। इसी प्रकार, गर्भनिरोधक साधनों के प्रयोग से सेवा प्रदान करने वालों द्वारा सेवा प्राप्त करने वालों पर अनावश्यक दबाव भी पड़ता है।

- राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे मौजूदा अथवा प्रस्तावित जनसंख्या नीति से भेदभावपूर्ण/दबाव डालने वाले उपायों को हटा दें। वे राज्य, जिनमें ऐसे उपाय जनसंख्या नीति का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी लागू किए जाते हैं, उन्हें भी ऐसे भेदभावपूर्ण उपायों को समाप्त कर देना चाहिए।

- इस बात पर जोर देते हैं कि उस सामाजिक स्थिति में, जिसमें महिलाओं का दर्जा निम्न है, और बेटों को प्राथमिकता दी जाती है, दबाव डालने वाले उपाय महिलाओं की स्थिति को और कमज़ोर बनाते हैं और परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण की हत्या, शिशु हत्या जैसी हानिकारक प्रथाओं को जन्म देते हैं।

- दृढता के साथ कहते हैं कि प्रजनन अधिकारों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वे महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, इन अधिकारों के प्रयोग के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीविका के साधन प्रदान करने को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ये जनन क्षमता दर में कमी लाने और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए भी आवश्यक हैं।

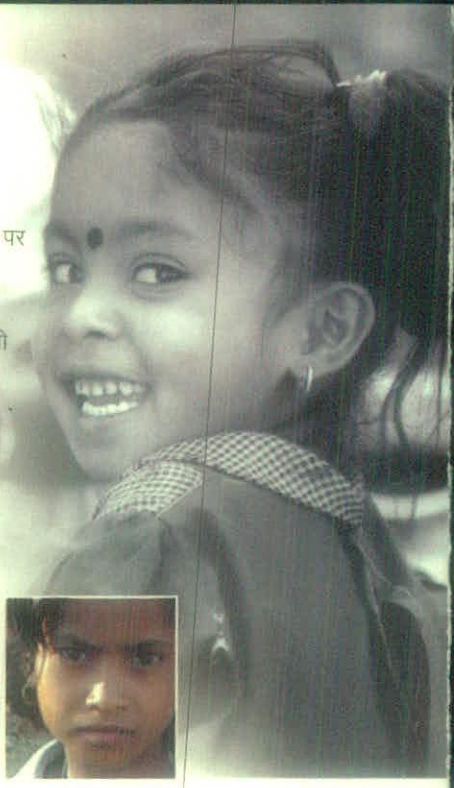

- इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी व्यक्ति की गरिमा और निष्ठा पर आधारित प्रजनन अधिकारों में अनेक पहलू शामिल हैं जैसे:
  - भेदभाव के भय से मुक्त, सोच समझ कर निर्णय लेने का अधिकार,
  - नियमित रूप से आसानी से मुनासिब दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाली और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार,
  - हर दम्पति को अपनी पसन्द के जन्म नियंत्रण के तरीके चुनने के लिए चिकित्सा सहायता और सलाह पाने का अधिकार,
  - लिंग आधारित हिंसा से मुक्त लैंगिक और प्रजनन संबंधी सुरक्षा का अधिकार।

- इस बात पर जोर देते हैं कि सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण संबंधी पहल को विभिन्न कार्यक्रमों में अधिकार–आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

- आगे इस बात पर अधिक ज़ोर देते हैं कि जनसंख्या स्थिरीकरण के किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, दंड पर आधारित दबाव वाले दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण कहीं अधिक कारगर है।

- इस बात को स्वीकार करते हैं कि नीतियों और सरकार द्वारा उनके कार्यान्वयन का मानव अधिकारों के प्रभाव पर नज़र रखना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि नीति संबंधी प्रक्रियाएं अधिकारों के ढांचे के भीतर हों, जैसा भारत के संविधान, देश के कानूनों और अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रलेखों में बताया गया है।

- केन्द्र और राज्य सरकारों से अपील करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि देशीय कानून प्रजनन अधिकारों के उचित इस्तेमाल को बढ़ावा दें, उन हानिकारक प्रथाओं को रोकें जो इस तरह के अधिकारों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं, और जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के साथ जीने के अधिकार की रक्षा करें, और यह सुनिश्चित करें कि मानव अधिकार एवं विकास पर आधारित जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आबंटित किए जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

सत्यमेव जयते
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

UNFPA
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष